रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 21 अप्रैल, 1987/1 वैशाख, 1909

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-171002, 10 फरवरी, 1987

संख्या उद्योग-II छ (1) 5/84-सैरी.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामत: गांव भरमाड़, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा में रेशम उद्योग के विकास हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है अत: एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में विनिर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. उपरोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इस क्षेत्र की किसी भूमि में प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने और उक्त धारा में अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्य करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं ।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, नूरपुर, जिला कांगड़ा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं0	क्षेत्र	
				कनाल	मरले
1	2	3	4	5	6
कांगड़ा	नूरपुर	भरमाड़	3017	11	8
			कुल क्षेत्र ..	11	8

शिमला-171002, 23 फरवरी, 1987

संख्या-उद्योग-II छ (1) 1/87.—चाय.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13-10-1986 का क्रम जारी रखते हुए भारतीय चाय बोर्ड तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के एक-एक प्रतिनिधि को हिमाचल प्रदेश चाय विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में मनोनीत करने के सहर्ष आदेश देते हैं ।

आदेश द्वारा,
ओ0 पी0 यादव,
आयुक्त एवं सचिव ।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-171002, 10 मार्च, 1987

संख्या0 पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 31/86.—क्योंकि, ग्राम पंचायत डंगार ने अपने प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 26-4-1986 द्वारा जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर को यह सूचित किया है कि श्री जगत राम, पंच ग्राम पंचायत डंगार 26-2-1986 से ग्राम पंचायत की बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहे हैं ;

और क्योंकि जिला पंचायत अधिकारी बिलासपुर की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त श्री जगत राम सार्वजनिक निर्माण विभाग में मेट का कार्य कर रहा है जिसके कारण वह पंचायत की बैठकों से अनुपस्थित रहे हैं ।

अत: राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 14 के अन्तर्गत उपरोक्त की पुष्टि के लिए एस0 डी0 एम0, घुमारवीं (एस0 डी0 एम0) को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं । वे अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश बिलासपुर के माध्यम से एक माह के भीतर-भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे ।

शिमला-171002, 10 मार्च, 1987

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0ए0(5) 90/86.—क्योंकि जिला पंचायत अधिकारी, शिमला ने सूचित किया है कि श्रीमती जोबन दासी, सह-विकल्पित पंच, ग्राम पंचायत खडाहन की ग्राम पंचायत की मासिक बैठकों से दिनांक 22-6-1986 से लगातार अकारण अनुपस्थित रह रही है ;

और क्योंकि उक्त पंच पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) (सी) के अन्तर्गत पंचायत के पंच पद पर बने नहीं रह सकती ।

अत: राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त श्रीमती जोबन दासी को हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के अनुसार कारण बताओ नोटिस देने का सहर्ष आदेश देते हैं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) (सी) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के पंच के पद से निष्कासित किया जाये, उनका इस सम्बन्ध में उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर जिला पंचायत अधिकारी शिमला के माध्यम से अनिवार्य रूप से इस विभाग में प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह अपने पक्ष में कुछ कहना नहीं चाहती तथा उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जायेगी ।

हस्ताक्षरित/-
उप-सचिव ।

स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 24 फरवरी, 1987

संख्या एल0 एस0 जी07-53/67-III.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 19) की धारा 257 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) और (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांगड़ा जिला की अधिसूचित क्षेत्र समिति नगरोटा बगवां के निम्नलिखित सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों को तीन वर्ष की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं अर्थात् :–

सरकारी सदस्य

1. उप-मण्डल अधिकारी (सिविल), कांगड़ा
2. सहायक अभियन्ता हि0 प्र0 लो0 नि0 विभाग (भवन एवं मार्ग) नगरोटा बगवां ।
3. सहायक अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, नगरोटा बगवां ।
4. सहायक अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य), नगरोटा बगवां ।
5. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगरोटा बगवां ।

गैर-सरकारी सदस्य

1. सर्व श्री हरभगवान खोसला सुपुत्र श्री सुदामामल ।
2. श्री लक्ष्मी चन्द मैहता सुपुत्र श्री बिरबल मैहता ।
3. श्री प्रदीप कुमार गुप्ता सुपुत्र श्री रोशन लाल ।
4. श्री आतमा राम मैहरा सुपुत्र श्री लोहनू राम ।
5. श्री सूरज प्रकाश, सुपुत्र श्री ईश्वर दास
6. श्री रोशन लाल सुपुत्र श्री बिहारी लाल
7. श्री प्रीतम चन्द सुपुत्र श्री डोरु राम हरिजन किर चम्बा ।
8. श्री सतीश कुमार सरोत्री सुपुत्र श्री लाल सरोत्री ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

कार्यालय उपायुक्त, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचनाएं

शिमला-1, 17 फरवरी, 1987

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0एम0एल0 (3) 20/85-11.—मैं जे0 पी0 नेगी, उपायुक्त, जिला शिमला, उन शक्तियों के अधीन जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 10 तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 19(बी) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, जिला शिमला के निम्नलिखित पंचों के त्याग-पत्रों को सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारियों की सिफारिशों के आधार पर तुरन्त स्वीकृत करता हूं तथा इन पंच पदों को रिक्त घोषित करता हूं :—

क्र0सं0	पंच का नाम	ग्राम सभा तथा वार्ड का नाम
1.	श्री तारा चन्द	पंच, ग्राम पंचायत जंजैली (वार्ड नं0 5) ग्राम चैंकलू, विकास खण्ड नारकण्डा, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश)।
2.	श्री विजय सिंह	पंच, ग्राम पंचायत अडहाल (वार्ड नं0 2) विकास खण्ड रोहड़, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश)।

शिमला-1, 17 फरवरी, 1987

सं0 पी0सी0एच0-एस0एम0एल0(3) 20/85-1.—मैं, जे0 पी0 नेगी, उपायुक्त, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, जिला शिमला की ग्राम पंचायत धुमान्दरी, तहसील ठियोग, जिला शिमला के प्रधान श्री केशव राम की मृत्यु के कारण हुए पद को रिक्त घोषित करता हूं :—

क्र0सं0	नाम मृत पंच	ग्राम सभा तथा विकास खण्ड	पद के रिक्त होने का कारण
1.	श्री केशव राम (प्रधान)	ग्राम सभा क्षेत्र धुमान्दरी, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला	मृत्यु

जे0 पी0 नेगी,
उपायुक्त, शिमला,
जिला शिमला (हि0 प्र0)।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 20 फरवरी, 1987

संख्या पी0सी0एच0–एच0ए0 (5) 86/86.—क्योंकि श्री सरवन सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत सवाहन, जिला

बिलासपुर की खाद की बोरियां नाजायज बेचने तथा उससे मु0 1938.35 रुपये अवैध रूप से कमाने पर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा 27-4-85 को Essential Commodity Act, की धारा 7, धारा 9 तथा आई0 पी0 सी0 की धारा 408 के अन्तर्गत क्रमशः 1 वर्ष की कैद तथा 1000/- रु0 जुर्माना 1 वर्ष की कैद तथा एक हजार रुपये जुर्माना तथा 6 माह की कैद तथा 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई, और इस तरह श्री सरवन सिंह नैतिक पतन (Moral Turpitude) में संलिप्त है ।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करने का सहर्ष आदेश देते हैं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सवाहन के उप-प्रधान पद से निष्कासित किया जाए । इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर जिलाधीश, बिलासपुर के माध्यम से उनका स्पष्टीकरण इस कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जायेगा कि श्री सरवन सिंह जी को पक्ष में कुछ नहीं कहना है ।

हस्ताक्षरित/-
उप-सचिव ।

शिमला-2, 28 मार्च, 1987

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5)-54/77.—क्योंकि श्री शेष राम अवस्थी, प्रधान निलम्वित ग्राम पंचायत गुम्मा, विकास खण्ड लम्बा गांव, जिला कांगड़ा नें सहकारी बैंक लम्बा गांव के सम्मुख जाली प्रस्ताव पेश करके 29-10-85 को 1500 रुपये की राशि निकाली जिसे दो मास तक निजी प्रयोग में लाया । 11-11-85 को डाकघर खैरा से 800 रुपये की राशि भी पंचायत की जानकारी के बगैर निकाली गई जिसका दुरुपयोग भी 38 दिन तक किया । 23-11-85 को 700 रुपये विकास खण्ड अधिकारी, लम्बागांव से बतौर आखरी किस्त रिट ग्राम में बावड़ी के लिए प्राप्त किये और उसमें से 400 रुपये 35 दिनों तक तथा शेष राशि 2 मास तक अपने निजी प्रयोग में खर्च की ;

और क्योंकि उक्त प्रधान (निलम्बित) के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत विकास खण्ड अधिकारी भवारना से जांच करवाई गई जिसके अनुसार उक्त प्रधान (नि0) पंचायत निधि के दुरुपयोग तथा नियमों, की उलंघना के दोषी पाये गये ;

और क्योंकि उक्त प्रधान के विरुद्ध उनके विरुद्ध आरोपों पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत निष्काशनार्थ कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जिसका उत्तर विचारने पर असन्तोषजनक पाया गया है अतः उन्हें ग्राम पंचायत के प्रधान पद पर रखना जन हितार्थ नहीं है ।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 2 खण्ड (डी) के अन्तर्गत उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री शेष राम अवस्थी, प्रधान (निलम्बित) ग्राम पंचायत गुग्गा, जिला कांगड़ा को प्रधान पद से तुरन्त निष्कासित करने का सहर्ष आदेश देते हैं ।

आदेशानुसार,
हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।